

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई  
(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, टोंक  
मुकाम टोंक व अलजाम श्री जगदीश आर्य आर.ए.एस. द्वारा अध्याशित  
उनवान

तहसीलदार टोंक तहसील व जिला टोंक राज0

– वादी

वनाम

1. रामदयाल पुत्र मेड़्या
2. नुरका पुत्री मेड़्या जाति बैरवा निवासीयान ग्राम भांची, पंचायत देवली तहसील व जिला टोंक
3. श्योजी पुत्र माधो जाति जाट निवासी ग्राम फतेहगंज उर्फ परासिया तहसील उनियारा जिला टोंक

– प्रतिवादीगण

उपस्थित– श्री हेमराज पूनिया वादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 175 व 176 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दावा नं० 16/2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूवरु उपखण्ड अधिकारी, टोंक व हाजरी वकील वादी गिनजामिन मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी जाती है कि

वाद वादी अन्तर्गत 175, 176 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि अराजी खसरा नम्बर 514 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 515 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 539 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम भांची तहसील पटवार हल्का देवली तहसील व जिला टोंक को कब्जे राज लिया जाकर तहसीलदार टोंक को रिसिवर नियुक्त किया जाता है। तहसीलदार टोंक को निर्देशित किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि को कब्जेराज लेकर राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण की खातेदारी निरस्त कर सिवायचक दर्ज करने की कार्यवाही करें। पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर नंबर से कम की जाकर, दाखिल दफ़तर की जावे।

वसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 27/9/2019 को जारी किया गया।

मोहर

मोहर

(जगदीश आर्य)  
उपखण्ड अधिकारी, टोंक

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्तनामा वकील		
महन्तनामा वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुताफरिफ		
मुताफरिफ					
मीशान			गिजान		